IN THE COURT OF A.C.J.M.-I,
Civil Court, Rosera, (Samastipur), Bihar.
Rosera P.S. Case No. 183 of 2023, C.I.S No. 817/2023
State of Bihar Vs. Santosh Thakur

Date of Order	***Order with initials of the Magistrate***	***Remarks.***
17-10-2023	सूचक की ओर से आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ हाजिरी दिया गया है। वाद पुकार पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में अभियुक्त क्रमशः 1. राजकिशोर पासवान के विरूद्ध धारा–500 भा0द0वि0 एवं 66D, I.T Act के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त राजकिशोर पासवान को अनुप्रेषित दिखाते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त संतोष ठाकुर के विरूद्ध धारा–500 भा0द0वि0 ''असंज्ञेय कोटि'' के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी के नामित अभियुक्त राजकिशोर पासवान एवं आरोप–पत्रित अप्राथमिकी अभियुक्त संतोष ठाकुर के विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है एवं प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है। **फलस्वरूप, प्राथमिकी के नामित अभियुक्त एवं आरोप पत्रित अभियुक्त 1. राजकिशोर पासवान एवं 2. संतोष ठाकुर के विरूद्ध धारा–500 भा0द0वि0 एवं 66D I.T Act के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक–15.01.2024 वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण की। **लेखापित** **अ0मु0न्याय0दण्डा0–प्रथम, रोसड़ा।**	